



पत्र संख्या- 369/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-06.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 06.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

थाना-जीयनपुर***गैर इरादतन हत्या में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद***

अभियुक्त द्वारा वादी के भाई के घर में रात्रि के समय बदनियति से घुसने का किया गया प्रयास जिसका विरोध करने पर अभियुक्त व उसके घर वालों द्वारा वादी के भाई व उसके परिवार वालों के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से किया गया घायल, जिससे 01 व्यक्ति की ने इलाज के दौरान हुई मृत्यु।

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.12.2024 को वादी दिनेश गौतम पुत्र रामनगीना गौतम ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि कल दिनांक 05/12/24 की रात्रि लगभग 11.00 बजे वादी के गाँव के विजय कुमार पुत्र रामशब्द निवासी बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जो वादी के छोटे भाई अनिल गौतम के घर में घुस गया जब उनकी पत्नी शिमला देवी ने आकर यह बात वादी के घर वालों को बताया तो वादी के घर के लोग उनके यहाँ पहुँचने गये तो अभियुक्तों 1.रामशब्द पुत्र किस्मत निवासी ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2.विजय कुमार पुत्र रामशब्द निवासी ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.राजेश पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 4.मेवाती देवी पत्नी रामशब्द निवासी ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 5.पप्पू पुत्र अज्ञात निवासी महादेवा थाना जीयनपुर द्वारा गाली गुप्ता देते हुए लाठी डन्डा लेकर वादी के छोटे भाई के घर आ गये और सभी को मारने पीटने लगे, जिससे वादी के भाई रमेशराम, भाभी रीना देवी पत्नी प्रेमचन्द भतीजा अंकित कुमार पुत्र प्रेमचन्द तथा भतीजी गुन्जा पुत्री प्रेमचन्द गंभीर रूप से घायल हो गये तथा अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। घायलों को इलाज हेतु सीएचसी बिलरियागंज ले जाया गया जहाँ इलाज के दौरान रमेश राम की मृत्यु हो गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 538/2024 धारा 191(2)/190/115(2)/352/105 BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 05 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 06.12.2024 को उ0नि0 मुन्नालाल यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1.रामशब्द पुत्र किस्मत निवासी ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 59 वर्ष 2.विजय कुमार पुत्र रामशब्द निवासी ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष 3.राजेश पुत्र बृजलाल निवासी पोलवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष 4.मेवाती देवी पत्नी रामशब्द निवासी ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 56 वर्ष को बछउर खुर्द बाजार नहर की पुलिया के पास से समय 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.रामशब्द पुत्र किस्मत निवासी ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 59 वर्ष
- 2.विजय कुमार पुत्र रामशब्द निवासी ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष
- 3.राजेश पुत्र बृजलाल निवासी पोलवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष
- 4.मेवाती देवी पत्नी रामशब्द निवासी ग्राम बछउर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 56 वर्ष

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि वादी मुकदमा दिनेश गौतम पुत्र रामनगीना गौतम निवासी बछुआर खास थाना जीयनपुर आजमगढ़ अपने भाई रमेश राम व भाभी रीना देवी पत्नी प्रेमचन्द भतीजा अंकित कुमार पुत्र प्रेमचन्द तथा भतीजी गुन्जा पुत्र प्रेमचन्द के साथ पूछताछ के लिये हमारे घर आये और कहे की विजय कुमार पुत्र रामशब्द हमारे छोटे भाई अनिल गौतम के घर मे घुस गया था इसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गयी पूछताछ के बाद वो लोग अपने घर चले गये बाद मे हम लोगों द्वारा गोल बनाकर लाठी डण्डे से लैस होकर उनके घर जाकर मारेपीटे जहाँ इलाज के दौरान मारपीट से आयी चोटों से रमेश की मृत्यु हो गयी ।

बरामदगी का विवरण:-

01. आला कत्ल लाठी बरामद

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0स0 538/2024 धारा 191(2)/190/115(2)/352/105 BNS थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 मुन्नालाल यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. 30नि0 हरिश कुमार शुक्ला थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. 30नि0 लक्ष्मी शुक्ला थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. हे0का0 राजीव कुमार मिश्रा थाना जीयनपुर आजमगढ़
5. का0 हरिकिसन मौर्या थाना जीयनपुर आजमगढ़
6. का0 प्रदुम्न यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़



02.थाना-कोतवाली:- धोखाधडी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 18.04.2024 को वादिनी गिरजा देवी पत्नी अनिल कुमार सिंह नि0 बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी द्वारा ग्राम हरैया तहसील सदर जनपद आजमगढ़ में 29 कडी जमीन 18 लाख रूपये में जमीन मालिक रंजू पत्नी सभानाथ उर्फ सभापति उपाध्याय व उनके पुत्र शनी एवं लड़की रानू, डाली व सोनी जो मूल रूप से ग्राम हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ से दिनांक 16.08.23 को बैनामा कराय था। उक्त बैनामा कराने में रितेश उपाध्याय पुत्र स्व0 धनश्याम उपाध्याय नि0 हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ व आनन्द यादव जिनके पिता का नाम व पता नहीं मालूम है मिडीएटर रहे बैनामा की रकम मैने 12 लाख रूपया जरिए चेक दिया था तथा 06 लाख रूपया नकद दिया था। लेकिन वादिनी जब अपनी जमीन पर दिनांक 24.02.24 को निर्माण कराने पहुंचे तो मौके पर सत्य नारायण यादव निवासी लाहीडीह थाना कोतवाली फूलपुर जनपद आजमगढ़ आकर कहने लगे कि यह जमीन उपरोक्त मालिकों से मैं बहुत पहले ही रजिस्ट्री करा चुका हूं। जिस पर मैने विक्रेतागण के मोबाइल नं0 पर सम्पर्क किया तो उन लोगों ने कहा कि जो मुझे करना था मैने कर दिया अब तुम्हे जो करना है करो ज्यादा फोन करोगी तो जान से चली जाओगी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 223/24 धारा 420,467,468,471,506,120बी पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

दिनांक 05.12.2024 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. रितेश उपाध्याय पुत्र स्व0 धनश्याम उपाध्याय नि. हरैया थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष, 2. आनन्द यादव पुत्र बालजीत यादव निवासी हरनही कोखरा थाना मदनपुर जनपद देवरिया उम्र 29 को जुनैदगंज पावर हाउस से समय करीब 23.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।



03.चोरी की घटना के प्रार्थना पत्र की जाँच करने गये पुलिस बल के साथ अभद्रता करने वाले 02 अभियुक्त चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.12.2024 को वादिनी शोजुलनिशा पत्नी समसुद्दीन ग्राम छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा दिवाल तोड़ कर दिवाल में लगा गेट चोरी कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 463/24 धारा -303(2)/324(4) बीएनएस बनाम 1. सहादत पुत्र शरीफ निवासी हैदराबाद उर्फ छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़ 2. सगीर पुत्र शरीफ निवासी हैदराबाद उर्फ छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़ 3. तशानुर पुत्र शरीफ निवासी हैदराबाद उर्फ छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़ 4. अमीला पत्नी शहादत निवासी हैदराबाद उर्फ छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 352/351(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी किया गया तथा अभियुक्त मो0 अकबर पुत्र मो0 शहादत निवासी कलन्दर बस्ती हैदराबाद उर्फ छतवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।
➔ प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर जाँच करने गयी पुलिस बल के साथ अभियुक्तों द्वारा अभद्रता की गयी जिसके संबंध में उ0नि0 रासबिहारी सिंह की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 466/24 धारा 3(5), 115(2), 352,351(2),131,132, बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 05 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 06.12.2024 को उ0नि0 राजबिहारी सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा में वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तों 1.मु0 शहादत पुत्र मु0 शरीफ ग्राम छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष, 2. मु0 अकबर पुत्र मो0 शहादत ग्राम छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को कलन्दर बस्ती छतवारा से समय करीब 14.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गया लोहे का गेट बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 463/24 धारा -303(2)/324(4)/352/351(2)बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़,

आपराधिक इतिहास -

1.मु0 शहादत पुत्र मु0 शरीफ ग्राम छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष

01.मु0अ0सं0 463/24 धारा -303(2)/324(4)/352/351(2)बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़,

02.मु.अ.स. 271/2021 धारा 323/34/452/504/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

03.मु.अ.स. 68/19 धारा 353/323/504 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

मु0 अकबर पुत्र मो0 शहादत ग्राम छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़

01.मु0अ0सं0 463/24 धारा -303(2)/324(4)/352/351(2)बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

नाम पता अभियुक्त:-

1.मु0 शहादत पुत्र मु0 शरीफ ग्राम छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष

2. मु0 अकबर पुत्र मो0 शहादत ग्राम छतवारा कलन्दर बस्ती थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी:-

चोरी गया लोहे का गेट बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 राजबिहारी सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. प्रशिक्षु उ0नि0 विधनेश वर्मा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. का. सद्दाम हुसैन थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. का. सद्दाम हुसैन अंसारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
5. का. सत्यप्रकाश यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

